


| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p> | <p>नम्बर अहका हुक्म का जारी हु</p> |
|------------------------|---|--|
| <p>20/11/15</p> | <p>वकील काफ़े उदाहृत। काफ़ी वकील ने पत्रावली पर विदापत पेश की नहीं होगे से पत्रावली नोट प्रेस का शरिज करने का निवेदन किया मतः पत्रावली नोट प्रेस चरों से शरिज की जाती है। पत्रावली केवल मुजरा होकर नसर से कर ही वाप इकत प्राप्त हो</p> <p style="text-align: right;">  उपलब्ध अधिकारी नरूवा (अजमेर) </p> | |

